स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 380, दिनांक 25–12–2024

अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रतिबंधित/सैम्पल/संदिग्ध नकली दवाओं की सप्लाई एवं भण्डारण करने वाले गिरोह का 01 सदस्य आगरा से गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रतिबन्धित दवा बरामद।

दिनांक 25–12–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रतिबंधित/सैम्पल/संदिग्ध नकली दवाओं की सप्लाई एवं भण्डारण करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को थाना क्षेत्र जगनेर, जनपद आगरा से गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अलग–अलग कम्पनियों के प्रतिबन्धित दवा बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– अमित कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी वर्मा कालोनी, थाना जगनेर, कमिश्नरेट आगरा।

<u>बरामदगीः–</u>

1– करीब 96 प्रकार की विभिन्न कम्पनियो/ब्राण्ड की प्रतिबंधित व सैम्पल/संदिग्ध दवाएं (कीमत करीब 50 लाख)
2– 02 अदद मोबाइल फोन।
3– 1200/– रू0 नगद।
4– 01 अदद आधार कार्ड
5– 01 अदद पेन कार्ड

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समयः–</u>

स्थानः बिन्दल कैमिस्ट रूपबास रोड, कस्बा थाना क्षेत्र जगनेर आगरा दिनांक 25–12–2024, समय 05.50 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रतिबंधित व सैम्पल की दवाओ के भण्डारण/ब्रिकी करने के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा हे0का0 प्रशान्त कुमार, हे0का0 अमित चौहान, हे0का0 प्रदीप यादव हे0का0 कृष्णवीर सिंह की टीम अभिसूचना संलकन के उद्‌देश्य से भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा प्रतिबन्धित/सैम्पल दवाओं की बिक्री/भण्डारण करने वाले गिरोह का एक सदस्य को बिन्दल कैमिस्ट रूपबास रोड, थाना क्षेत्र जगनेर आगरा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबन्धित/सैम्पल दवाएं बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित कुमार ने पूछताछ पर बताया कि उसका बिन्दल कैमिस्ट के नाम से लाईसेंस है। संदिग्ध नकली/प्रतिबन्धित सैम्पल दवाएं सस्ते दामों में आगरा के फुब्वारा दवा मार्केट से खरीद कर लाता है एवं कुछ दवाएं लोकल ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से भी मंगाता है। इन दवाओं की जगनेर के आस–पास क्षेत्रों में एवं राजस्थान के कुछ जगहो पर सप्लाई करता है। इन दवाओ के अतिरिक्त नशे के रूप में प्रयोग होने वाली दवाओं एवं इन्जेक्शन की सप्लाई भी करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना जगनेर, आगरा पर मु0अ0सं0 173/2024 धारा–316(2), 318(4), बीएनएस व 18ए/28 औषधि और प्रसाधन अधि0 1940 व 22 (सी)/29 स्वापक औषधि व मनप्रभावी पदार्थ अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्तर पर की जा रही है।